


राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक संपत्ति के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए संपत्ति के पृथक किये गये अंश या अंशों के बाजार मूल्य पर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-198]
राज्यपाल के आदेश से,


प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018**

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that registration fees chargeable on the instrument of partition of ancestral property shall be reduced and charged at the rate of 0.25 percent on the market value of the separated share or shares of the property subject to maximum of rupees ten thousand.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-198]
By order of the Governor,


(Praveen Gupta)
Secretary to the Government